

पत्र सं०-F.No.59 / जी०एस०टी०ऑडिट / 2023-24 /

237

/राज्य कर।

प्रेषक,

कमिश्नर, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अपर आयुक्त
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(जी०एस०टी० ऑडिट)

लखनऊ :: दिनांक :: 08 अगस्त-2023

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जी०एस०टी० अधिनियम, 2017 के नियम 12 के अनुसार TCS (E-COMMERCE OPERATOR) के मामलों में व्यापारी का Principal place of business उ०प्र० राज्य के बाहर अन्य स्थान पर भी हो सकता है, जिनका स्थलीय सत्यापन कराया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। इस सभी मामलों में जी०एस०टी० नियमावली, 2017 के नियम 12 के अनुसार अखिलेखीय जाँच कराते हुये व्यापारियों की प्रमाणिकता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

यह पत्र आयुक्त राज्य कर के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

08/08/23

(राजेश कुमार पाण्डेय)

अपर आयुक्त (विधि),

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) राज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जी०एस०टी० अधिनियम, 2017 के नियम 12 के अनुसार TCS (E-COMMERCE OPERATOR) के मामलों में व्यापारी का Principal place of business उ०प्र० राज्य के बाहर अन्य स्थान पर भी हो सकता है, जिनका स्थलीय सत्यापन कराया जाना सम्भव नहीं हो पाता है अतः ऐसे सभी मामलो को विभागीय पोर्टल में स्थलीय सत्यापन की पेंडेन्सी से हटाना सुनिश्चित करें।

अपर आयुक्त (विधि),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।